

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प. 19(21)शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक :13.01.2023 की पालना में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत पूर्व में ही प्रतिनियुक्त निम्नलिखित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि में उनके नाम के साम्मुख अंकित (कॉलम संख्या 5 में) विवरणानुसार अभिवृद्धि किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त निम्नानुसार इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि की जाती है—

क्र.स.	कार्मिक का नाम	पद नाम एवं मूल पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	प्रतिनियुक्ति पर प्रस्तावित अभिवृद्धि की दिनांक	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	राहुल मीणा	कनि. सहा. (रामावि. कोरी ध्वेचा, बागौड़ा भीनमाल जालौर)	30.12.2021	30.12.2022 से 30.12.2023	द्वितीय वर्ष
2	दीपिका शर्मा	कनि. सहा. (राबाउमावि. रेवदर सिरौही)	30.12.2021	30.12.2022 से 30.12.2023	द्वितीय वर्ष

संबंधित समस्त एतदनुसार सूचित हों।

Rajasthan Education Department



(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./2022/03  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक :16.01.2023

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरौही।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त, निदेशक) मा.शि., कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रधानाध्यापक रामावि. कोरी ध्वेचा, बागौड़ा भीनमाल जालौर।
7. प्रधानाचार्य राबाउमावि. रेवदर सिरौही।
8. संबंधित कार्मिक राहुल मीणा/ दीपिका शर्मा।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर